संख्या–89 USDMA-792(2020)

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू0एस0डी0एम0ए0 देहरादूनः दिनांक 27 अप्रैल, 2020

विषयः गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य के किये गये निर्माण कार्यों को आरम्भ करवाये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया तालाबंदी की अवधि (दिनांक 03 मई, 2020 तक) के लिये कोरोना वायरस के संक्रमण के संदर्भ में भारत सरकार के स्तर से निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्गत पत्र संख्या–296/XVIII-B-1/2020-15(6)/2020 दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तथा तदोउपरान्त निर्गत उक्त विषयक पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके द्वारा उक्त के अनुसार अनुमन्य निर्माण कार्यों को आरम्भ करवाये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में आपको विभाग/जनपद में किये जा रहे समस्त निमार्ण कार्यों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों तथा उक्त हेतु निर्धारित मानक प्रचालन कार्यविधियों (एस0ओ0पी0) के अनुरूप यथाशीघ्र आरम्भ करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (मंत्रीपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. स्टॉक आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. संबंधित पत्रावली।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव